

34/100

34/100

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 237838

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




वेक्य विवर

| | |
|---------------------------|----------------|
| प्रतिफल की धारणाये- | रु 14,62,400/- |
| जागत्य मूल्य - | रु 5,05,075/- |
| अस किचे तसे जागत्य मूल्य- | रु 1,01,750/- |

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. पंचनामा - विजयपुर
3. ग्राम - खरीना

34/100



34/100



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

110395


[Handwritten signature]

1. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - कुल खराब सतह 1225 सक्वा 118' से। का 1/40 भाग कर्वाट मिली सक्वा 30527 30 सक्वा राम गरीब, मरणा विजय, उहलीय - लिला लक्षणक।
2. संपत्ति का इलाका - हजूरपुर
3. संपत्ति का क्षेत्रफल - 12227 सक्वा
4. संपत्ति का स्थिति - मुस्लामपुर रोड व अन्तरहीन पथ से लगन 331 मीटर से अन्तर
5. संपत्ति का प्रकार - कृषि

रजिस्ट्रार



[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

110396

2000

10

- 8 400 की स्थिति - नहीं
- 10 बारिश / कुर्मी अन्य - कुछ भी नहीं है।

बीकानेर संख्या नं-1288


उत्तर प्रदेश संख्या नं-1276/1287

दक्षिण संख्या नं-1288

गुरुवार : संख्या नं-1289 व अन्यते अन्य

परिचय: संख्या नं-1285

110396



110396

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 208234

अदादा की संख्या—

दिलीद गदा की संख्या— 4

| किता का विवरण | किता नर विवरण |
|---|--|
| राम सागर मुद्द राहबरीन लिखती —ग्राम बरीना परबना बिजनीर तहरील न जिल नखन.क। | राम गजील्ल मुद्द भोकू लिखती ग्राम— पुई गिदी किराली. जिला रामबरेती। |
| जमानत— नूषि | जमानत— नूषि |

राम सागर मुद्द

राम सागर मुद्द

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

218236


20-10-2011

-3-

विशेष न्यायाधीशों, अधिवक्ता एवं निष्पादकता समिति ई) से तथा निरादिता किया गया।

उक्त के अन्तर्गत भूके खसत संख्या 1288 रकबा 1731 बी. का 1/4 भाग अर्थात् किलो रकबा 4272 हे. जित्त ग्राम- लौना, तहसील- सिजौर, जिला- बलरघाट का मखिक, कागिज न कागिज ई तथा एकैक सत्यापित सहायिक अतीनी का संख्या 02807 के अनुसार भूमि विवेका के अन्तर्गत मखिक भूमि के रूप में

२. ७. २०११


प्रमुख


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 208240

इसमें है और विवेक से नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 नया है। विवेक से नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 संपूर्ण विवेक से नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 यह कि विवेक से नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 इस विवेक से नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 वर्तमान समय में नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।
 का उल्लेख नहीं है तथा उल्लेख नाम का उल्लेख करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 208241

की भूमि नहीं है। यह कि विद्वान् का भोजित करता है कि उपरोक्त
वर्णित भूमि सभी प्रकार के भासों से मुक्त एवं माफ़ व जाफ़ है तथा
विद्वान् ने उसे इस विद्वान् को पूर्ण तन्ही बर, हिजा, विरही या अनुभवित
इत्यादि नहीं किया है। विद्वान् ने उक्त भूमि पर कृषि कर या अन्य
प्रकार का कोई कर नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा कर भविष्य में
निकासता है तो उसका अंगेवार विद्वान् व उसके परिवार व विधिव
उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

19/10/2011



19/10/2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 208242

सारांश या सनकाश करीवाही के अन्तर्गत प्लान्ड का पट्टा विषय
में है। यही पट्टा अर्थात् ई. वि.के.ता. के अक्षांश उच्च भूमि में किसी
अन्य व्यक्ति के अर्थात् एक या जना अर्थात् नहीं है, एवं विवेक को
एक ही नाम अन्तर्गत करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त
सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि विक्रय मूल्य रकम ₹ 14,62,400/- (रु.
बीस लाख अठार सत्रह हजार चार सौ चाली) के प्रतिफल में विभाजन
करियेवाही द्वारा विवेकता की इस विवेक के अन्त में ही गई

20/08/2015



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 208237

11-

आपको यह अपने स्वामित्व में प्राप्त अधिकांशों के साथ पूर्णतया स
हमारा से लिद किया जा रहा है। यह किया
विकसित सामग्री का प्रत्येक भाग का अपने एकमात्र स्वामि
में अतिवृत्त व अपने में उत्पन्न से रूप में शून्य एवं उपरोक्त व
उपरोक्त करने विवेक व अपने परिवर्तन अपने किसी प्रकार की
सहायक नहीं प्राप्त करने के रूप में का प्रयोग कर सकते और
यदि गिरावट सामग्री अथवा कोई भाग विकला के स्वामित्व में यदि

दस्तावेज



दस्तावेज

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000


FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

208739

के कर्ण या कानूनी कदम या कानूनी मुद्दे से उत्पन्न होना या
उसके अंतर्गत निष्ठावकता इत्यादि से उत्पन्न या अविचार या स्वतः
से निकल आये हो तथा उसके परिचय, निष्ठावकता इत्यादि से
उसके एक ही भाग में एक भाग समस्त मुकदमा सब हस्त में रखना
निकटता को प्राप्त करके सम्बन्ध से अतिरिक्त अज्ञानता प्रत्यक्ष रूप से। उस
विधि से निकलता एवं उसके अंतर्गत हस्त में रखने के हेतु कार्य
होना।

20/11/2023



11/11/2023

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38043

यह कि विवेका २३ में संकेत करते हैं कि उक्त पूरे सलानक
विज्ञान-विकल्प, सलानक तथा २००० आदि एके विकल्प, परिवर्तन,
परिवर्तन तथा अन्य किली भी संकरी संख्या में सरकारी संस्था द्वारा
संविदा नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि उक्त विकल्पों का सलाना की साखिल साहित्य संकल्प
संविदाओं में उक्त नाम एवं उक्त ही विवेकाओं को कोई आगरी
होगी और २३ कि उक्त विवेका संविदा में पूरे का उक्त उक्त संकल्प


२०००

२०००

भारतीय नगर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




-14-

मिली ०५०० का यह एक सम्पत्ति पर आज का उसके विख्यात भुगतान
व पहन करने, पिछे का कोई जगति न डेगी।

यह के उत्तरका खसरा नम्बर राम परीना अधनकारीय क्षेत्र के
सामान्य राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकारी रेट का
३२,५०,०००/- प्रति हेक्टर जिसका से विक्रीत भूमि १०,००० हेक्टर
की मजिगात का ३,२५,००,०००/- होती है तथा विषय मूल्य, भूमि की
अन्तर्गत मूल्य से कम है इसलिए नियन्त्रित मजिगात भूमि पर ही का

१०/०६/०१




निदेशात्मक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47-131616



1954

101.750/- कागज स्वयं अंक किया जा रहा है। भूमि में कोई भी
इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की कयासीय गतिविधियां नहीं
कर रखी है व कोई कबाड़ा, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मीटर से
अधिकतर में कोई निर्माण नहीं है विहित भूमि किसी लिखित मांग/प्रमाणों
पर जनकपुरी सत्र पर विषय नहीं है। विहीत भूमि मुल्कानपुर रोड से व
उत्तर राईल नर व रावना 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

20/05/2014



13/05/2014

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 3161Z

16

दिनांक एवं क्षेत्र के अनुसूचित कालों के अन्तर्गत है। यह विद्वान्
मित्रों के विद्वान् का समस्त कार्य क्षेत्र द्वारा सन्दिग्ध है।

लिखित यह दिवस पत्र विदेशों में केना के फल में बिना
किसी और व प्रकाश के स्पष्ट चिह्न एवं ही सम्पन्न गणनाएँ लिख
दिनांक एवं क्षेत्र से और प्रकाश अन्तर्गत मद्रास पर काम आये।


रु. 100-100/100



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 670139

उपरोक्त मुकदमा विषय

1. शिवाजी को रु. 14,52,400/- द्वारा रोज मजदूरी- रु. 100/- का
 वेतन रु. 30,00,00/- का अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है।
 अतिरिक्त वेतन से मजदूरी रु. 14,52,400/-

र. 14,52,400/-



उपरोक्त

इस प्रकार वेकेशन को कुल मिलाकर कुल रु० 14,52,400/- (एक
बीस लाख पाच हजार चार सौ मात्र) देना में प्राप्त हुए जिनकी
वर्षिक निवेदन स्वीकार करता है तथा उन कर्मों को धरारादि निवेदन को
देना में जवाब देना नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक 01.07.2011

सुवाह :-

(Handwritten signature)
अधीन निदेशक
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

उप. नि. नि. नि.

दिनांक

2. *(Handwritten signature)*
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(Circular stamp)
संविदा निदेश

संविदा निदेश


(संविदा निदेश)
सिद्धि निदेशक लखनऊ

संविदा निदेश

(सिद्धि निदेशक लखनऊ)
सिद्धि निदेशक लखनऊ

मात्र ०.४३५
दर १३५
अथ ०.२३१७५


प्रमाणित की जाय
दिनांक १९५५




दिनांक

१९५५

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32एड के अनुमालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स
 लेना का नाम व पता- राम चरण पुत्र राहमदीन निवासी -ग्राम खैना, पटना जिल्ला
 मधे प्रदेश के अंगुलिओं के निम्न-




दाहिने हाथ के अंगुलिओं के निम्न -




बायाँ हाथ के अंगुलिओं के निम्न -

लेना का नाम व पता- राम चरण पुत्र राहमदीन निवासी ग्राम- पूरे भिरी, गिराही, जिल्ला
 मधे प्रदेश।
 बायाँ हाथ के अंगुलिओं के निम्न-



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के निम्न-



लेना के निम्न -

पत्र क्रमांक 01/01/2011 अ

पत्रे क्र. 1 दिनांक 11/03/11

पृष्ठ क्र. 305 व 314 पत्रांक 9541

विषय: ...

विद्युतवातावरण विभाग
जि. अ. वि. वि. वि.
नया विमानतळ (पुणे)
मुंबई
11/03/11

